भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 689 का उत्तर

हरियाणा में रेल परियोजनाएं

689. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में हरियाणा में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना का कार्य किस वर्ष प्रारम्भ हुआ था तथा प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की अनुमानित समय अवधि क्या है;
(ख) प्रारंभ से लेकर अब तक प्रत्येक उक्त परियोजना के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें विलंब हुआ है/लागत में वृद्धि हुई है और उक्त परियोजनाओं की मूल स्वीकृत लागत, संशोधित अनुमानित लागत, वृद्धि का प्रतिशत और लागत में ऐसे अंतर के स्पष्ट कारण क्या हैं;
(घ) सरकार द्वारा हरियाणा में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पूरा होने की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और
(ङ) क्या उक्त परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए रेलवे, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी) और राज्य सरकार के बीच कार्य के समय पर पूरा होने और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है न कि राज्य-वार/निर्वाचन क्षेत्र-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो

सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों एवं वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

हरियाणा राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹315 करोड़ प्रति वर्ष
2025-26	₹3,416 करोड़ (लगभग 11 गुना)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 8 परियोजनाएं (01 नई लाइन और 07 दोहरीकरण), जिनकी कुल लंबाई 491 किलोमीटर और लागत ₹6775 करोड़ रूपए हैं, स्वीकृत की गई हैं और मार्च 2025 तक ₹1571 करोड़ का व्यय हो चुका है।

कार्य की स्थिति का सार इस प्रकार है:

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2025 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	1	28	0	925
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	7	463	0	646
कुल	8	491	0	1571

हरियाणा राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	जींद-सोनीपत नई लाइन (89 कि.मी.)	800
2	एमएम बाई-पास लाइन सहित रेवाडी-रोहतक (85 कि.मी.)	1001
3	रोहतक-महम-हांसी नई लाइन (64 कि.मी.)	889
4	सूरतपुरा-हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर (241 कि.मी.)	896
5	जयपुर-रींगस-सीकर-चूरू और सीकर-लोहारू (320 कि.मी.)	1105
6	जाखल-मनसा दोहरीकरण (45 कि.मी.)	163
7	खुखराना-पानीपत दोहरीकरण (8 कि.मी.)	58
8	अंबाला-धप्पर-चंडीगढ़ दोहरीकरण (45 कि.मी.)	339
9	रेवाडी-मनहेरू दोहरीकरण (69 कि.मी.)	465
10	तुगलकाबाद-पलवल चौथी लाइन (34 कि.मी.)	366
11	मथुरा-पलवल चौथी लाइन (80 कि.मी.)	669
12	पलवल और न्यू पृथला के बीच संपर्कता (10 कि.मी.)	66

हरियाणा राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, वे इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	चंडीगढ़-बद्दी (28 कि.मी.)	1540
2	पलवल और न्यू पृथला के बीच संपर्कता (4 कि.मी.)	66
3	चूरू-सादुलपुर बड़ी लाइन के बीच दोहरीकरण और लूनी-समदड़ी-भीलड़ी खंड के बीच दोहरीकरण (330 कि.मी.)	3554
4	रेवाडी-खाटूवास दोहरीकरण (28 कि.मी.)	352
5	भिवानी-डोभ-बहाली दोहरीकरण (42 कि.मी.)	471
6	मानहेरू-बवानी खेड़ा के बीच दोहरीकरण (32 कि.मी.)	413
7	खाटूवास-नारनौल के बीच दोहरीकरण (24 कि.मी.)	313

पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 778 किलोमीटर की कुल लंबाई को कवर करते हुए 20 सर्वेक्षण (06 नई लाइन और 14 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें निम्नानुसार शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी मंज़ूरी
- अतिलंघी साधनों का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंज़ूरियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- किसी विशेष परियोजना स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन करना शामिल हैं। मास्टर प्लानिंग में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार
- स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने के स्थान, जल-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े ऊपरी पैदल पुल/एयर कॉन्कोर्स की व्यवस्था
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप की व्यवस्था
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म पर कवर की व्यवस्था
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमॉडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंड स्केपिंग आदि की व्यवस्था।

इस योजना में स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधानों, आवश्यकतानुसार गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्य के अनुसार समाधान और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास करने के लिए 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिनमें हरियाणा राज्य में स्थित 34 स्टेशन शामिल हैं। हरियाणा राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिन्हित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
हरियाणा	34	अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, भट्टू, भिवानी जंक्शन, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फरीदाबाद न्यू टाउन, गोहाना, गुरुग्राम, हांसी, हिसार, होडल, जींद जंक्शन, कलनवाली,कालका, करनाल, कोसली, कुरुक्षेत्र जंक्शन, लोहारू, महेंद्रगढ़, मंडी आदमपुर, मंडी डबवाली, नारनौल, नरवाना जंक्शन, पलवल,पानीपत जंक्शन, पटौदी रोड, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर जगाधरी

हरियाणा राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में 01 स्टेशन (मंडी डबवाली) का चरण-I कार्य पूरा किया जा चुका है। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं और उपरोक्त कुछ स्टेशनों की प्रगति नीचे दी गई है:

• नरवाना स्टेशन: नए स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म सतह सुधार, परिपथन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, लिफ्ट और 12 मीटर लंबे पैदल पार पुल का कार्य पूरा हो चुका है। समापन का कार्य शुरू हो चुका है।

• जींद स्टेशन: स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म सतह सुधार, परिपथन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, लिफ्ट, एस्केलेटर और 12 मीटर पैदल पार पुल का कार्य पूरा हो चुका है। समापन का कार्य शुरू हो चुका है।

• रेवाड़ी स्टेशन: स्टेशन भवन, प्लेटफार्म सतह सुधार, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिपथन क्षेत्र, लिफ्ट, एस्केलेटर और पैदल पार पुल का कार्य पूरा हो चुका है। समापन का कार्य शुरू हो चुका है।

• होडल स्टेशन: नए मुख्य प्रवेश स्टेशन भवन, द्वितीय प्रवेश स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर, परिपथन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र और प्लेटफार्म सतह में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। समापन का कार्य शुरू हो चुका है।

भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण निरन्तर और सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार कार्य शुरू किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्यों को स्वीकृति देने और निष्पादन के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

इसके अलावा, अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण पर किए गए व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार। हरियाणा राज्य तीन रेलवे क्षेत्रों, अर्थात् उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे, के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,729 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें से अब तक (अक्टूबर, 2025 तक) 1,860 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय और मंडल कार्यालयों आदि में मौजूदा स्टेशनों के पुनर्विकास, यात्री सुविधाओं/स्टेशनों की सुविधाओं में वृद्धि आदि के लिए राज्य सरकारों, माननीय संसद सदस्यों, केंद्र सरकार के मंत्रियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों प्रकार के प्रस्ताव/आग्रह/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रस्तावों/अनुरोधों/सुझावों/अभ्यावेदनो का प्राप्ति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है और इनकी जाँच की जाती है और समय-समय पर व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है जिनका कोई केन्द्रीकृत संग्रह नहीं रखा जाता है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और गाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसमें दमकल, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति आदि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति उपयोगिताओं का स्थानांतरण (पानी/सीवेज लाइनों, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइनों, बिजली/सिगनल केबल आदि सहित), अतिलंघन, यात्रियों के आवागमन को बाधित किए बिना गाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट कार्यों के कारण गति सीमाएँ आदि जैसी ब्राउनफील्ड चुनौतियों के कारण प्रभावित होती है और ये कारक समापन समय को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जो हरियाणा (51%) और रेल मंत्रालय (49%) की एक राज्य संयुक्त उद्यम कंपनी है, 5618 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना (125.98 किमी) को क्रियान्वयन कर रही है। अब तक, पटली-मानेसर-एमएसआईएल (10 कि.मी.) खंड को मालगाड़ियों के परिचालन के लिए चालू कर दिया गया है और शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

• परियोजनाओं के सभी ड्राइंग और डिज़ाइन क्षेत्रीय रेलवे के परामर्श से तैयार किए जाते हैं और भारतीय रेल के नामित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

• मालगाड़ियों के लिए खंड को भारतीय रेल की नामित समिति द्वारा तकनीकी निरीक्षण और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा प्राधिकरण के बाद ही खोला जाता है।

• क्षेत्रीय रेलवे के साथ-साथ रेलवे बोर्ड स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

• प्रगति की निगरानी के लिए मुख्य सचिव या एसीएस/पीडब्ल्यू के स्तर पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

• परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट एचआरआईडीसी द्वारा रेलवे और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

• परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एचआरआईडीसी की सभी बोर्ड बैठकों में की जाती है।

*****